



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2019/आषाढ़ 27, 1941

No. 413]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2019/ASHADHA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 512(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6), धारा 64 (घ) और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ -** (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2019 कहा जा सकता है।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।
- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसमें इसके पश्चात मूल नियमों के रूप में उल्लिखित) में:-

(I) नियम 50 में-

- क) उप नियम (1) के खंड (i) में, शब्दों और आंकड़ों नामतः "डीआईएन 1745 / डीआईएन 1783 या आईएसओ 7591" के स्थान पर शब्दों और आंकड़ों नामतः "एआईएस: 159: 2019 या आईएसओ: 7591" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ख) उप-नियम (1) के खंड (iii) में, शब्द "सात" के स्थान पर शब्द नामतः "दस" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ग) उप-नियम (1) के खंड (iv) में, शब्दों, आंकड़ों और चिह्नों "लाइसेंस प्लेट विनिर्माता या उसके डीलर" के स्थान पर शब्दों, आंकड़ों और चिह्नों नामतः "पंजीयन प्राधिकारी / वाहन विनिर्माताओं और उनके डीलरों," को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- घ) उप-नियम (1) के खंड (iv) में, शब्दों, आंकड़ों और चिह्नों "पंजीयन प्राधिकारी/लाइसेंस प्लेट विनिर्माता के डीलर" के स्थान पर, शब्दों, आंकड़ों और चिह्नों नामतः "पंजीयन प्राधिकारी / वाहन विनिर्माताओं और उनके डीलरों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ड.) उप-नियम (1) के खंड (v) में,
- (i) शब्दों, आंकड़ों और चिह्नों नामतः "प्राधिकरण के परिसर में" का लोप किया जाएगा;
- (ii) शब्दों नामतः "लाइसेंस प्लेटों को अनुमोदन" के स्थान पर शब्द नामतः "वाहन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) शब्दों और आंकड़ों नामतः "उपर्युक्त विनिर्देश के अनुरूप लाइसेंस प्लेट विनिर्माताओं को अनुमोदन" के स्थान पर शब्दों और आंकड़ों नामतः "केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के तहत, सुरक्षा पंजीकरण प्लेट और इस नियम के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा पंजीकरण प्लेट विनिर्माताओं को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- च) उप-नियम (1) के खंड (vi) में,
- (i) उल्लिखित वाहन श्रेणियों नामतः "मध्यम वाणिज्यिक वाहनों, भारी वाणिज्यिक वाहनों और ट्रेलर / संयोजन के लिए" के लिए शब्दों और आंकड़ों नामतः "340 x 200 मिमी" में वर्णित प्लेट के आकार के लिए शब्दों और आंकड़ों नामतः "340 x 200 मिमी / 500 x 120 मिमी" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) अंतिम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्, -
"इसके अलावा यह भी कि निर्माण उपकरण वाहन के मामले में, उपकरण आकार और स्थान की उपलब्धता के आधार पर प्लेट का आकार 500x120 मिमी या 340x200 मिमी होगा।";
- (iii) खंड (क) के पश्चात उप-नियम (2) के खंड (घ) में, निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
"(कख) रैंट ऐ कैब स्कीम 1989 के तहत मोटर कैब के मामले में, काले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में, हालांकि रैंट ऐ कैब स्कीम 1989 के तहत बैटरी द्वारा चालित/विद्युत चालित मोटर कैब के मामले में हरे रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग में,; और"
- छ) उप-नियम (3) में पहले परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“वशर्ते कि पंजीकरण चिह्न सामने एक पंक्ति में हो सकता है, यदि 200 मिमी x 100 मिमी आकार की प्लेट में, एक पंक्ति में पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है, तो पंजीकरण चिह्न दो पंक्तियों में प्रदर्शित किया जा सकता है।

(II) नियम 51 में,

(क) तालिका में क्रम संख्या 11 के पश्चात क्रम संख्या 12 और इससे संबंधित कॉलम 1 से 6 में प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा अंतःस्थापित किया जाएगा-

12	निर्माण उपकरण वाहन	सामने और पीछे के अक्षर एवं अंक (प्लेट आकार 500x120 मिमी या 340x200 मिमी के साथ)	65	10	10
----	--------------------	---	----	----	----

(ख) तालिका की पहली शीर्षक पंक्ति में शब्दों और आंकड़ों नामतः "आयाम से कम नहीं" के स्थान पर शब्दों और आंकड़ों नामतः "आयाम (मिमी में) से कम नहीं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. आरटी-11028/01/2018-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि.(अ), दिनांकित द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2019.

G.S.R. 512(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 41, section 64(d) and section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2019
(2) Save as otherwise provided in these rules, these rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules);
 - in rule 50-
 - in clause (i) of sub rule (1), words and figurers namely “DIN 1745/DIN 1783 or ISO 7591” shall be substituted by the words and figurers namely “AIS:159:2019 or ISO:7591”;
 - in clause (iii) of sub rule (1), word “seven” shall be substituted by the word namely “ten”;

- c) in clause (iv) of sub rule (1), words, figures and symbols “licence plate manufacturer or his dealer” shall be substituted by the words, figures and symbols namely “registering authority/vehicle manufacturers and their dealers,”;
- d) in clause (iv) of sub rule (1), words, figures and symbols “registering authority/dealer of the licences plate manufacturer” shall be substituted by the words, figures and symbols namely “registering authority/vehicle manufacturers and their dealers,”;
- e) in clause (v) of sub rule (1)-
- (i) word, figures and symbols namely “at the premises of the authority” shall be omitted;
 - (ii) words namely “approved the licence plates” shall be substituted by the word namely “vehicle”;
 - (iii) words and figures namely “shall approve the licence plates manufacturers to the above specification” shall be substituted by the word and figures namely “under the rule 126 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 shall approve the security registration plates and the security registration plate manufacturers as per the provisions of this rule”;
- f) in clause (vi) of sub rule (1)-
- (i) For the size of the plate mentioned in words and figures namely “340 x200 mm” against vehicle categories mentioned namely “For medium commercial vehicles, heavy commercial vehicles and Trailer/combination” shall be substituted by words and figures namely “340 x200 mm/500 x 120 mm”;
 - (ii) after the last proviso the following proviso shall be inserted namely,-
“Provided further that in case of Construction Equipment Vehicles, the size of plate shall be 500x120 mm or 340x200 mm, depending on the equipment size and availability of space.”;
 - (iii) in clause (d) of sub rule (2), after the clause (A), following clause shall be inserted namely.-
“(AB) in case of motor cab under rent a cab scheme 1989, in yellow colour on black background however in case of battery operated/electrically powered motor cab under rent a cab scheme 1989, in black colour on green background ;and ”
- g) in sub rule (3) first proviso shall be substituted by the following namely.-
“Provided that the registration mark in the front may be in one line, in case, in 200mm x 100mm size plate, there is no sufficient place to exhibit the registration mark in one line, the registration mark may be exhibited in two lines”
- (II) in rule 51-
- (a) after the sr. no. 11 in the table serial number 12 and the entries relating thereto column 1 to 6, shall be inserted, by the following entries namely.-
“

12	Construction Equipment Vehicles	Front and rear letters and numerals(With plate size 500x120 mm or 340x200 mm)	65	10	10
----	---------------------------------	---	----	----	----

- (b) in the first title row of the table words and figures namely “Dimensions not less than” shall be substituted by words and figures namely “Dimensions (in mm) not less than”.

[No. RT-11028/01/2018-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. (E), Dated.....